



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 अग्रहायण 1935 (श0)
(सं0 पटना 888) पटना, मंगलवार, 10 दिसम्बर 2013

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचनाएं

6 दिसम्बर 2013

बिहार वन लिपिकीय सम्मर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली 2013

सं0 वन अरा0स्था0-15/12-4169/प0व0—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल पर्यावरण एवं वन विभाग की अधिसूचना संख्या 2897, दिनांक 08.08.2013 के द्वारा प्रकाशित बिहार वन लिपिकीय सम्मर्ग भर्ती एवं सेवाशर्त नियमावली 2013 के नियम 6 के उप-नियम (1) को निम्नलिखित द्वारा तुरंत के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं:-

“(1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या उसके समकक्ष होगी।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

दीपक कुमार सिंह,

सरकार के सचिव।

6 दिसम्बर 2013

सं0 वन अरा0स्था0-15/12-4170/प0व0—बिहार वन लिपिकीय सम्मर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली 2013 का अंग्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया

जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचित संशोधित नियमावली 2013 का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

The 6th December 2013

**Bihar Forest Clerical Cadre (Recruitment & Condition of Service)
(Amendment) Rule, 2013.**

No.Van. Ara. Stha-15/12-4169 /E. & F.—In exercise of the powers conferred by the Proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to Substitute Sub rule (1) of Rule 6 of the Bihar Forest Clerical Cadre (Recruitment & Condition of Service) Rules 2013 Published vide Environment and Forest Department, Notification no. 2897, dated 08.08.2013 by the following with immediate effect:-

“(1) The minimum educational qualification shall be intermediate (10+2) pass or equivalent to it with knowledge of Computer operation and Computer Typing.”

By order of the Governor of Bihar,
DIPAK KUMAR SINGH,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 888-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>